राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2242/2025

शमशेर खान

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. निदेशक, अराजपत्रित एवं अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन पंचायतीराज चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराली जिला सीकर।
4. संजु, नर्सिंग ऑफिसर, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराली जिला सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.03.2025
आदेश की दिनांक : 10.03.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराली जिला सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापित स्थान राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराली सीकर से महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर में किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 बिना प्रशासनिक आवश्कयता के जारी किया गया है। आलौच्य आदेश में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 554 एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का कम संख्या 553 पर अंकित है। (अनुलग्नक–1) उक्त आलौच्य आदेश की पालना में प्रत्यर्थी संख्या 3 ने आदेश दिनांक 20.1.2025 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2009 में सीधी भर्ती से नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पीएचसी वीणा जिला बीकानेर में हुई है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापित स्थान सीएचसी पिपराली जिला सीकर में दिनांक जून 2015 से निरंतर कार्यरत है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी को बिना प्रशासनिक आवश्यकता के अपीलार्थी का दूरस्थ स्थान पर करीब 450 किलोमीटर

स्थानांतरण किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 15.1.2025 में अपीलार्थी का स्थानांतरण बिना प्रशासनिक आवश्यकता के जारी किया गया है। अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को पदस्थापित किया गया है और उक्त आलौच्य आदेश निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समायोजित किये जाने के आशय से जारी किया गया है। अपीलार्थी की एकलौता 14 वर्षीय बेटा mental disorder एवं लीवर की बिमारी से ग्रसित है और उसका निरंतर उपचार भी चल रहा है। अपीलार्थी के एक बेटे का निधन हो चूका है। ऐसी परिस्थितियों के बावजूद प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आलौच्य आदेश दिनांक 15.1.2025 के द्वारा अपीलार्थी का दूरस्थ स्थान पर स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी का दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरण किये जाने के कारण अपीलार्थी के बिमार बेटे का उपचार प्रभावित होगा। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी की पत्नी भी घुटनों की बिमारी से ग्रसित है और उसका निरंतर उपचार चल रहा है। अपीलार्थी की पत्नी के घुटनों के कारण चलने एवं दैनिक दिनचर्या के कार्यों में समस्या का सामना करना पड़ता है। अपीलार्थी ने उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 15.1.2025 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पीटिशन नंबर 3108/2025 दायर की थी। जिसे अपीलार्थी ने विड़ों की है तथा अपीलार्थी का प्रकरण स्थानांतरण से जुडा हुआ है और उसे सुनने का अधिकार अधिकरण को प्राप्त है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 15.1.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 20.1.2025 (अनुलग्नक–1 एवं 2) को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुंगारा जिला सीकर में निरंतर कार्यरत रखा जावे। साथ ही अपीलार्थी को वेतन का भूगतान भी वर्तमान पद से ही आहरित करवाने के निर्देश दिए जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार

व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य